"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 306]　　　　रायपुर, बुधवार, दिनांक 17 जुलाई 2013—आषाढ़ 26, शक 1935

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, बुधवार, दिनांक 17 जुलाई, 2013 (आषाढ़ 26, 1935)

क्रमांक-8852/वि.स./विधान/2013.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ भूमि-धारण (विधिमान्यकरण) विधेयक, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) जो बुधवार, दिनांक 17 जुलाई, 2013 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 30 सन् 2013)

छत्तीसगढ़ भूमि-धारण (विधिमान्यकरण) विधेयक, 2013

विषय-सूची

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 30 सन् 2013)

छत्तीसगढ़ भूमि-धारण (विधिमान्यकरण) विधेयक, 2013

रायपुर नगर निगम सीमा में स्थित धारित भूमि के अंतरण को विधिमान्य करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय-एक
प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ भूमि-धारण (विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2013 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

परिभाषाएं.

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "शासकीय अभिकरण" से अभिप्रेत है, अभिकरण जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 में यथा परिभाषित शासन के नियंत्रण के अधीन है और इसमें रायपुर विकास प्राधिकरण एवं छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल सम्मिलित है;

(ख) "सरकार" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सरकार;

(2) ऐसे शब्द एवं अभिव्यक्तियां जो इस अधिनियम में परिभाषित नहीं है, उनका वही अर्थ होगा जो छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) के अधीन परिभाषित है.

अध्याय-दो
भूमि के विक्रय, विनिमय एवं अंतरण की वैधता

भूमि के विक्रय, विनिमय एवं अंतरण की वैधता.

3. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, शासकीय अभिकरण द्वारा खरीदी गई भूमि या जिसका आधिपत्य विनिमय के करार या विक्रय के करार के अधीन प्राप्त किया गया हो, ऐसी खरीदी, ऐसे विक्रय के करार या विनिमय के करार, जिन्हें राजपत्र में राज्य शासन द्वारा एक बार अधिसूचित किया जायेगा, मात्र इस आधार पर अवैध नहीं माने जायेंगे कि उन्हें शासकीय अभिकरण द्वारा उचित रूप से मुद्रांकित या पंजीकृत नहीं कराया गया है.

(2) शासकीय अभिकरण द्वारा उक्त भूमि का, जिन्हें राजपत्र में राज्य शासन द्वारा एक बार अधिसूचित किया जाएगा, पट्टाधारियों को किया गया अंतरण, विधिमान्य रूप से अंतरित किया गया समझा जाएगा एवं शासकीय अभिकरण को किये गये ऐसे समस्त अंतरण और पट्टाधारियों को किया गया उत्तरवर्ती अंतरण, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) के प्रावधानों के अंतर्गत वैध एवं विधिमान्य एवं नामांतरित समझे जायेंगे.

(3) इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन, उक्त खरीदी, विक्रय के करार अथवा विनिमय के करार, जो शासकीय अभिकरण को अंतरित करने या विनिमय करने के संबंध में किए गए थे, में मूल स्वामियों द्वारा, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) के प्रावधानों के अधीन भू-अभिलेखों में, स्वामित्व के संबंध में किया गया कोई पश्चातवर्ती परिवर्तन, अवैध समझा जायेगा.

उद्देश्य एवं कारणों का कथन

यत: कतिपय धारित भूमियां शासकीय अभिकरणों द्वारा क्रय की गई है तथा उसमें विभिन्न कालोनियां विकसित की गई हैं और शासकीय अभिकरणों द्वारा पट्टा धारकों को 30 वर्षों के लिए पट्टे पर दी गई है.

और यत: उक्त भूमियां पूर्व से ही विकसित हैं एवं भूमि के उक्त टुकड़ों में लोग निवास कर रहे हैं, अत: राज्य शासन ने लोक हित में भूमि के उक्त टुकड़ों को पट्टे पर धारण करने वाले लोगों के लिए एक बार उपाय के रूप में भूमि को पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि के रूप में प्रदान करने का विनिश्चय किया है.

तथा यत: उपरोक्त उल्लेखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के क्रम में राज्य सरकार शासकीय उपकरणों द्वारा क्रय की गई धारित भूमि के स्वामित्व को विधि सम्मत बनाना आवश्यक समझती है. राज्य विधान सभा भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-2 की प्रविष्टि क्रमांक 18 के अन्तर्गत इस संबंध में विधि अधिनियमित करने में सक्षम है.

2. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर
दिनांक 16 जुलाई, 2013

राजेश मूणत
आवास एवं पर्यावरण मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित छत्तीसगढ़ भूमि-धारण (विधिमान्यकरण) विधेयक, 2013 में शासकीय अभिकरण के आधिपत्य की भूमि का विधेयक के माध्यम से नामांतरण करने की व्यवस्था की है जिसके खण्ड 3 (1) के अंतर्गत विनिमय के करार अथवा विक्रय के करार के माध्यम से अभिकरण को प्राप्त भूमि तथा खण्ड 3 (2) के अंतर्गत अभिकरण द्वारा पट्टाधारियों को अंतरित की जाने वाली भूमि का शासन के द्वारा एक बार राजपत्र में अधिसूचना जारी करना है, का निर्धारण शासन द्वारा किया जाना है, वे सामान्य स्वरूप के होंगे.

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.